न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहितR.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 07/2020

अपीलांट :–
बाबुदेवी पत्नी जगदीशचन्द्र
जाति सुथार निवासी बागर
बेरी किला रोड जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्टस :–

1. बद्रीराम पुत्र श्रीराम जाति सुथार निवासी ग्राम मालावास तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
2. पानीदेवी पुत्री श्रीराम पत्नी लक्ष्मणराम जाति सुथार ग्राम सालवा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
3. चुनीदेवी पुत्री श्रीराम पत्नी मिश्रीलाल फौत के कायम मुकाम
   3/1 गुदडराम पुत्र मिश्रीलाल
   3/2 कालुराम पुत्र मिश्रीलाल जातियान सुथार निवासी ग्राम नानण तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
   3/3 कमलादेवी पुत्री मिश्रीलाल पत्नी रामनिवास जाति सुथार निवासी जुनी बस्ती मण्डौर जोधपुर
   3/4 छीनुदेवी पुत्री मिश्रीलाल पत्नी केवलराम जाति सुथार निवासी शिवपुरी स्कुल के पास मंगरा पूंजला जोधपुर
4. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत मालावास तहसील पीपाड़ शहर
5. भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर
6. पंजाब नेशनल बैंक शाखा पीपाड़ शहर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू.राजस्व अधिनियम
विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 599 व 814 जो ग्राम पंचायत मालावास द्वारा पारित किया गया

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री मंसूर अली छीपा अपीलांट की ओर से
श्री अब्दुल सलीम खान सिंन्धी रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 की ओर से
श्री चन्द्र सिंह राठौड़ रेस्पोडेन्ट्स सं. 6 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय

दिनांक : 31.03.2021

अपीलांट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम मालावास पटवार क्षैत्र मालावास तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा मे कृषि भूमि खसरा नं 441 रकबा0.7847 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 443 रकबा 0.6796 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 444 रकबा 1.3429 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 446 रकबा 2.4270 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 498 रकबा 1.6746 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 499 रकबा 1.0113 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 501 रकबा 2.3800 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 503 रकबा 3.5839 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 521 रकबा 1.0436 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 522 रकबा 3.5030 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय स्थित है जो राजस्व रेकार्ड के खाता संख्या 267 व पुराना 200 पर इन्द्राज है जिसके सबूत मे जमाबंदी संवत 2075 से 2078 की संलग्न है। अपील मे आगे उक्त खसरो की आराजी को वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। ग्राम मालावास पटवार क्षेत्र मालावास तहसील पीपाड़ शहर मे ही खसरा संख्या 49 रकबा 5.1938 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 50 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा स्थित है जो राजस्व रेकार्ड के खाता संख्या नया 461 व पुराना 319 पर इन्द्राजसुदा है। अपील मे आगे उक्त खसरो की आराजी को वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। पद संख्या एक मे वर्णित वादग्रस्त आराजी मे अपीलांट के पिता श्रीराम पुत्र बिडदाराम जाति सुथार निवासी मालावास का 1/2 हक व हिस्सा निहित था जिस पर श्रीराम अपने जीवनकाल मे काबिज काश्त थे तथा पद संख्या दो मे वर्णित वादग्रस्त आराजी मे अपीलांट के पिता श्रीराम का 1/3 हक व हिस्सा निहित था जिस पर श्रीराम अपने जीवनकाल मे काबिज काश्त थे। श्रीराम का देहांत हो चुका है उनके देहांत के बाद उपरोक्त वर्णित पद संख्या 1 मे अंकित वादग्रस्त जायगा मे श्रीराम के 1/2 हिस्सा जायगा मे अपीलांट का 1/4 हक व हिस्सा बनता है यानि पद संख्या 1 मे वर्णित वादग्रस्त आराजी मे अपीलांट का 1/8 वां हक व हिस्सा बनता है जिस पर अपीलांट अपने

उपखण्ड अधिकारी

पिता के देहांत के बाद काबिज काश्त है तथा पद संख्या 2 मे वर्णित वादग्रस्त आराजी मे अपीलांट का अपने पिता के 1/3 हिस्से मे 1/4 वां हिस्सा यानि पद संख्या 2 मे वर्णित सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी मे अपीलांट का 1/12 वां हक व हिस्सा बनता है जिस पर अपीलांट अपने पिता के देहांत के बाद काबिज काश्त है। पद संख्या 1 मे अकिंत वादग्रस्त आराजी का फौतेदगी नामांतरण सं. 599 रेस्पोडेंट सं. 4 द्वारा स्वीकृत किया गया तथा पद सं. 2 मे अंकित वादग्रस्त आराजी का फौतेदगी नामांतरण सं. 814 रेस्पोडेंट सं. 4 द्वारा स्वीकृत किया गया उक्त दोनो नामांतरण मे अपीलांट का नाम इन्द्राज नही किया गया व केवल रेस्पोडेंट सं. 1 के नाम से नामांतरण इन्द्राज किया गया यानि श्रीराम के देहांत के बाद केवल उनके जाईन्दा पुत्र बद्रीराम रेस्पोडेंट सं.1 के नाम से नामांतरण सं.599 व नामांतरण सं. 814 इन्द्राज कर पद सं. 1 व 2 मे वर्णित वादग्रस्त आराजी को रेस्पोडेंट सं. 1 के नाम से इन्द्राज किया गया व अपीलांट का नाम यानि पुत्रियो का नाम इन्द्राज नही किया जो कि पूर्णत गलत है। हिन्दू विधि के अनुसार वादग्रस्त आराजी मे अपीलांट का भी रेस्पोडेंट सं. 1 के साथ बराबर–बराबर हक व हिस्सा निहित है तथा अपीलांट अपने पिता श्रीराम के देहांत के बाद उनकी खातेदारी भूमि मे विरासतन बराबर–बराबर हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारीणी है। केवल मात्र नामांतरण सं. 599 व 814 मे अपीलांट का नाम इन्द्राज नही करने से अपीलांट के खातेदारी अधिकार समाप्त नही हो जाते है। नामांतरण की प्रक्रिया एक सरसरी प्रक्रिया है जिसमे केवल मात्र नाम इन्द्राज करना रह जाने से किसी के खातेदारी के अधिकार समाप्त नही होते व हिन्दू विधि के अनुसार अपीलांट का अपने पिता की खातेदारी भूमि मे उनके देहांत के बाद बराबर–बराबर हक व हिस्सा निहित है। रेस्पोडेंट सं. 1 दिनांक 22.09.2020 को अजनबी व्यक्तियो को वादग्रस्त आराजी को बेचान करने कि नियत से दिखाने लगा तब अपीलांट ने मना किया तब रेस्पोडेंट सं. 1ने वादग्रस्त आराजी को अपनी होना बताया तब अपीलांट ने दिनांक 22.09.2020 को हल्का पटवारी से नामांतरण सं. 599 व 814 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त की तब जानकारी हुई कि वादग्रस्त आराजी मे अपीलांट का नाम इन्द्राज नही है व फौतेदगी नामांतरण के जरिये केवल रेस्पोडेंट सं.1 का नाम इन्द्राज किया गया जिस पर अपीलांट ने रेस्पोडेंट सं.1 से निवेदन किया कि वह वादग्रस्त आराजी मे कानूनी

उपखण्ड अधिकारी
(जोधपुर)

प्रक्रिया अपनाकर अपीलांट का नाम भी इन्द्राज करवाये जिस पर रेस्पोडेंट सं.1 ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया व ऐलानिया रूप से अपीलांट से कहा कि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी जिसमे श्रीराम का हक व हिस्सा निहित था वह उसकी है तथा वह किसी प्रकार से अपीलांट को नही देगा जिस पर अपीलांट के पास उक्त विवादित नामांतरण सं. 599 व 814 बाबत नामांतरण अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। इसलिए उक्त नामांतरण अपील निम्न वजुहातो पर प्रस्तुत है–

आधार

ग्राम पंचायत मालावास रेस्पोडेंट सं. 4 द्वारा नामांतरण सं. 599व 814 स्वीकार करते समय अपीलांट को बिना सुनवाई किये व बिना वारिसान की जांच किये नामांतरण स्वीकार किये है जो कि काबिले खारिज है जो खारिज फरमाया जावे। नामांतरण सं. 599 व 814 मे अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 1 से 3 के नाम से इन्द्राज करना था लेकिन उक्त नामांतरण केवल रेस्पोडेंट सं. 1 के नाम से इन्द्राज किया गया व मृतक श्रीराम के अन्य विधिक वारीस अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 2 से 3 (3/1 से 3/3) के नाम नामांतरण इन्द्राज नही किया गया इसलिए उक्त नामांतरण विधि के विपरीत भरे गये है व विधिक वारिसानो के नाम पीछे छोड दिये गये है इसलिए उक्त विवादित नामांतरण जो काबिले खारिज है जो खारिज फरमाया जावे। अपीलांट ने विवादित नामांतरणो की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 22.09.2020 को प्राप्त की तब अपीलांट को जानकारी हुई कि उसका नाम राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज नही है व श्रीराम के देहांत के बाद उनके एक जाईन्दा पुत्र रेस्पोडेंट सं. 1 के नाम राजस्व रेकार्ड मे वादग्रस्त आराजी इन्द्राज की गई है इसलिए अपीलांट ने बिना देरी किये उक्त अपील प्रस्तुत कर दी है जो अन्दर मयाद है। रेस्पोडेंट सं. 5 भूमिधारी होने से रेस्पोडेंट पक्षकार के रूप मे संयोजित किया गया है जो कि उक्त अपील मे प्रफोरमा पक्षकार है जिनसे किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है तथा रेस्पोडेंट सं. 2 से 3 (3/1 से 3/3) भी श्रीराम के विधिक वारिस होने से उक्त अपील मे पक्षकार बनाये गये है रेस्पोडेंट सं. 6 बैंक से रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा ऋण लिये जाने से रेस्पोडेंट सं. 6 को पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त आराजी ग्राम

मालावास की राजस्व सीमा मे स्थित है व नामांतरण सं. 599 व 814 ग्राम पंचायत मालावास द्वारा स्वीकृत किये गये है जिसकी अपील की सुनवाई किये जाने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है। उपरोक्त अपील अन्दर मयाद उचित न्यायालय शुल्क पर अलावा तलबाना के प्रस्तुत है। अन्य वजुहात बरवक्त बहस अर्ज किये जायेंगे। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत मालावास रेस्पोडेंट सं. 4 द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन म्यूटेशन सं. 599 व 814 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमावे व रेस्पोडेंट सं. 5 को आदेश फरमावे कि पद सं. 1 व 2 मे वर्णित वादग्रस्त आराजी मे मृतक श्रीराम पुत्र बिडदाराम के हक व हिस्से मे उनके सभी विधिक वारिसान का बराबर–बराबर हक व हिस्सा का नामांतरण इन्द्राज किये जाने के आदेश फरमावे।

हमने अपीलांट की अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 की ओर से वकील अब्दुल सलीम खान ने व रेस्पोडेन्ट्स सं. 6 की ओर से वकील चन्द्र सिंह राठौड़ ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 से 4 के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 व 6 की ओर से जवाब पेश नही करने पर उनका जवाब बन्द किया गया ।

हमने बहस बहस वकुलाय सुनी । वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि सरहद मौजा मालावास के दो अलग–अलग खाते खसरा नम्बर 441, 443, 444, 446, 498, 499, 501, 503, 521, 522 कुल 10 खसरे है, पूर्व में खातेदार श्रीराम पुत्र बिरदाराम 1/2 हिस्सा, फौतेदगी के बाद म्युटेशन 599 भरा गया । सिर्फ बद्रीराम का नाम भरा गया । पुत्रीयो का नाम छोड़ दिया गया । पुत्रीया, बाबुदेवी, पानीदेवी, चुनीदेवी है । खसरानम्बर 49, 50 में बद्रीराम का 1/3 हिस्सा, बद्रीराम का नाम, पुत्रियो के नाम नही, प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी, वारिसान की जांच नही की गयी । अभी भी कब्जा काश्त है । रेवन्यु रेकर्ड को देखने पर पता चला की हमारा नाम नही है । अपील अन्दर म्याद मानते हुए म्युटेशन सं. 599 व 814 को खारिज कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जावें व श्रीराम

पुत्र बिरदाराम के विधिक वारिसान के नाम डाले जावें । इसी प्रकार वकील रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि 1981 के नामान्तरणकरण है हिन्दु उतराधिकार के प्रथम श्रेणी के वारिसान है । पुत्रीया नही है, लीगल है । 2005 में अधिकार दिये अपील की अवधि 3 महिने प्रार्थना पत्र में अन्दर म्याद लिखा सेक्शन 5 की प्रार्थना पत्र नही है उसको भी खारिज एवं अपील को भी खारिज की जावें । एक इन्च पर भी आज भी कब्जा नही है । अपील संधारणीय एवं पोषणीय नही है । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1988 में पुत्रियां प्रथम श्रेणी के वारिसान में शुमार थी ।

हमने बहस वुकलाय सुनी । बहस पर मनन किया जाकर पाया कि भुमि पुश्तैनी तथा पैतृक है । मृतक श्रीराम पुत्र उदाराम के सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण दायर नही किया गया है । विधिक वारिसान की जांच नही की गयी । अतः अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण सं. 599 व 814 निरस्त किये जाते है । तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि मृतक श्रीराम के सभी विधिक वारिसान (अर्थात श्रीराम की तीनो पुत्रियों) के नाम नामान्तरकरण दायर कर रेकर्ड में अभिलेखांकन के बाद न्यायालय को पालना प्रस्तुत करें ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालयमें लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)